आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–39/13

ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह वनाम लक्ष्मण सिंह एवं अन्य

आदेश

अपीलार्थी ने न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–30/2011 में पारित आदेश से झुब्ध होकर विपक्षी के विरूद्व यह अपील वाद लाया हैं। वाद में समाहित भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा	अराजी
सोन्डिहा	4033	336	117	24 25	18 कठ्ठा 02 धूर 01 बीधा 01 कठ्ठा 06धूर

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के पूर्वजों की पैतृक सम्पत्ति है। विपक्षीगण के पूर्वज द्वारा 1943 में निबंधित केवाला द्वारा उक्त कुल रकवा अपीलार्थी के पिता स्व0 भग्गु उर्फ भगवान मंडल को बिक्री की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पिता का निधन हो गया और खरीदगी जमीन का दाखिल–खारिज भूतपूर्व जमीनदार के समय नहीं कराया जा सका जिससे जमीनदारी सिरिस्ता में उक्त जमीन का अपीलार्थी के पिता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं हो सका और भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा जो रिर्टन दाखिल किया गया उसमे जमीन विक्रेता के नाम से ही रिर्टन बिहार सरकार को जमा कर दिया गया। यह कि अपीलार्थी का कथन है कि जमाबंदी कायम कराने के लिये परीसीमा अधिनियम में कोई अवधि निश्चित नहीं है। आवेदक का केवाला उसका स्वामित्व और अपीलार्थी के विक्रेता का जमाबंदी विवाद में नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का जमाबंदी कायम करने का क्षेत्राधिकार को छोड़कर निम्न न्यायालय को अन्य कोई अधिकार इस विषय पर नहीं है ना तो अपीलार्थी और ना ही उसके वंशज दाखिल–खारिज वाद संख्या–1579/2011–12 में पक्षकार थे। अतः उक्त दाखिल–खारिज वाद के आदेश का अपीलार्थी पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय ने अवैध रूप से अपीलार्थी को दाखिल–खारिज वाद सं0–1579/11–12 के विरूद्व अपील दायर करने का निदेश दिया है।

अपीलार्थी भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में चले आ रहे है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अपीलार्थी के दखल–कब्जा को सम्पुष्ट करता है और उक्त प्रतिवेदन के विरूद्व विपक्षी ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

चूँकि प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण के रूप में लाया गया है। जबकि उल्लेखित तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी का सृजन विधिवत् नमान्तरण वाद संख्या–1579/2011–12 के आदेश के आधार पर हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह मामला उक्त नामान्तरण वाद में पारित आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील का मामला बनता है न कि जमाबंदी रद्दीकरण का मामला। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के जमाबंदी रद्दीकरण संबंधी दावे को खारिज किया जाता है। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे विपक्षीगण के पक्ष में आदेशित नामान्तरण वाद संख्या–1579/2011–12 के आदेश के विरूद्व सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर सकते है अथवा स्वत्व अधिकार के लिये सक्षम न्यायालय में जा सकते है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख सम्पूर्ण रूप में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजे। साथ ही आदेश की प्रति जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।

16/10/15
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

डी० औ० क्र०-3581 दिनांक-16.10.2015 /
प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को L.C. 12 सहित वापस सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित /
प्रतिलिपि :- N.I.C, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

अपर जिला दण्डाधिकारी ... समाहरणालय, खगड़िया

16/10/15
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया ।